संख्या-209/2018/3241/26-3-2018-10(27)/99टी0सी0

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
भागीदारी भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 11 अक्टूबर, 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सी-498/भा0भ0/2018-19 दिनांक 19.09.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक-30 मार्च 2018 एवं वित्त आय-व्ययक के शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनांक-01.09.2018 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या-83 की योजना छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के अन्तर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में खर्चो को वहन करने के लिए रू0-101.00 लाख (रूपये एक करोड़ एक लाख मात्र) अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
अनुदान संख्या-83- 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 05-छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ-		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

07-मानदेय 29-अनुरक्षण 41-भोजन व्यय	22.00 35.00 44.00	22.00 35.00 44.00
योग	**101.00**	**101.00**

(1)-उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से वर्ष 2018-19 से संबंधित व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, इनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। उक्त प्रस्तर-1 में संदर्भित वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक-30 मार्च 2018 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)-धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृति/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाय। वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित समीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 के संज्ञान में लाया जायें। इस सम्बन्ध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस सम्बन्ध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(3)-शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुर्नविनियोग न किया जाये। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में वित्तीय नियमों एवं प्रतिबंधों के अधीन अन्य मदों की धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व शासन की अनुमति आवश्यक हो,उसे प्राप्त कर ही धनराशि व्यय की जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2018-19 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार/नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खातों आदि में नही रखा जायेगा।

(5)-उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(6)-वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-01.09.2018 में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त योजना/मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-छत्रपति साहू जी महराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ की संगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय संख्या-1/2018/बी-1-375/ दस-2018-231/ 2018, दिनांक 30 मार्च 2018 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव

संख्या-209/2018/3241(1)/26-3-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।